

कार्यालय: मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

पत्रांक 344 /अभि0/नि0सू0/2019-20

दिनांक 08 अगस्त, 2019


अल्पकालीन-ई निविदा सूचना

उपाध्यक्ष एम0डी0डी0ए0, देहरादून द्वारा लेबर वर्क हेतु प्रति स्ट्रीट लाईट (एम0 एस0 कनैक्शन बाक्स नट सहित, 15 एम्पीयर स्वीच पावर कोटेड बाक्स सहित फिक्सिंग, कनैक्शन वायर 8 मी0 से 10 मीटर फिक्सिंग नई स्ट्रीट लाईट फिक्सिंग) का कार्य एक वर्ष के लिये प्राधिकरण में पंजीकृत/नवीनीकरण फर्मों (अनुभवी, प्रतिष्ठित, आयकर एवं जी0एस0टी0) से नीचे वर्णित कार्य को करने हेतु अल्पकालीन ई निविदा दिनांक 21.08.2019 को अपरान्ह 2.00 बजे तक बेबसाईट www.uktenders.gov.in पर अपलोड कर सकते हैं। जो उसी दिन सांय 3.00 बजे निविदा समिति द्वारा खोली जायेगी। विस्तृत जानकारी एवं कार्य का विवरण सहित सभी नियम एवं शर्तें उक्त बैबसाईट पर उपलब्ध हैं।

क0सं0	कार्य का नाम	आगणन राशि प्रति लाईट समस्त कर सहित	धरोहर राशि रू0	कार्य की अवधि	निविदा की वैधता
1	लेबर वर्क हेतु प्रति स्ट्रीट लाईट (एम0एस0 कनैक्शन बाक्स नट सहित, 15 एम्पीयर स्वीच पावर कोटेड बाक्स सहित फिक्सिंग, कनैक्शन वायर 8 मी0 से 10 मीटर फिक्सिंग नई स्ट्रीट लाईट फिक्सिंग) का कार्य एक वर्ष तक के लिये।	1020.00	1,00,000.00	एक वर्ष	90 दिन

निविदा हेतु आवश्यक शर्तें

- 1- निविदा फार्म ओन लाईन जी0एस0टी0 सहित रू0 1180/- की धनराशि का पेआर्डर, जो सचिव, एम0डी0डी0ए0 के पक्ष में हो तथा दिनांक 21.08.2019 के बाद का ना हो तथा निर्धारित धरोहर राशि, जो अधीक्षण अभियन्ता के नाम पर बन्धक हो, को निविदा प्रस्ताव के साथ अपलोड करने के उपरान्त मूल प्रति नियत तिथि एवं समय से पूर्व अभियन्त्रण अनुभाग में जमा करानी होगी। उसके उपरान्त ही निविदा खोली जायेगी।
- 2- निविदा दाता पूर्व से प्राधिकरण में अभियन्त्रण (विधुतीकरण) कार्य से संबंधित कार्य करने संबंधी फर्मों द्वारा ही उक्त कार्य को करने हेतु प्रतिभाग किया जायेगा।
- 3- निविदादाता फर्म का प्राधिकरण में वर्तमान वित्तीय वर्ष में पंजीकरण/नवीनीकरण होना अनिवार्य है।


अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आ0 का0 हेतु।

- 1- सचिव, म0दे0वि0प्रा0 देहरादून।
- 2- मुख्य लेखाधिकारी, म0दे0वि0प्रा0, देहरादून।
- 3- नगर निगम/लोक निर्माण विभाग/जिला परिषद/सिंचाई विभाग के नोटिस बोर्डों हेतु।
- 4- नाजिर म0दे0वि0प्रा0 को इस आशय से प्रेषित व दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर अखबार की प्रति इस अनुभाग को उपलब्ध करायेंगे।
- 5- सिस्टम एडमिनेस्ट्रेटर को इस आशय से कि उक्त विज्ञप्ति को प्राधिकरण की बेबसाईट पर अपलोड करायें।
- 6- प्राधिकरण बोर्ड पर चरपा हेतु।
- 7- संबंधित पत्रावली पर संलग्न करने हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।